

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एम-1634/2025/27

दिनांक : 09/01/2025

-:आदेश:-

निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 835 दिनांक 27.12.2024 को तुरन्त प्रभाव से एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/एम-1634/2025/27

दिनांक : 09/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- उदयपुर।
3. जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि बिना सक्षम अधिकारी के आहरण एवं वितरण अधिकारी के प्रस्ताव निदेशालय भिजवाये जाने पर आप अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्र प्राप्ति के 03 दिवस मे प्रस्तुत करें।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय माण्डल भीलवाडा।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित अधिकारियों की जीमेल आईडी/विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर